

न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 171/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम द्विराम
निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डुधाराणा पटवारी अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल द्विराम पुत्र दुन्दरीराम जाति जाट निवासी डुधाराणा पटवारी द्वारा ग्राम डुधाराणा पटवारी के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है किस्म भूमि गैर सायल भूमि में से 0.58 है भूमि पर सम्वत् 2015 में नाजायज पत्रावली अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा मेरे सरकारी रजिष्टर में

अतिक्रमण नहीं किया है। कृपया इसी तरह एडवाइस दी जाये।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पत्रावली अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल द्विराम का उक्त खसरा नम्बर

89 तादादी 2.87 है गैर सायल भूमि में से 0.58 है भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल द्विराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल द्विराम जाति जाट निवासी डुधाराणा पटवारी द्वारा ग्राम डुधाराणा पटवारी के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है गैर सायल भूमि में से 0.58 है भूमि का सम्वत् 2015 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.58 का 50 गुणा से 29=00 रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।



तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज